आलोक रंजन
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 20 जून, 2011

विषय: ग्राम पंचायतों को इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों एवं पाइप पेयजल योजनाओं के रख-रखाव हेतु परिसम्पत्तियों का हस्तानान्तरण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1739/38-5-99-21एम/99 दिनांक 22 अप्रैल, 1999 को अतिक्रमित करते हुए उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प, पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में शासन ने तात्कालिक प्रभाव से निम्न निर्णय लिये हैं-

I- ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों /योजनाओं के अन्तर्गत नये इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प तथा एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएँ कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के उपरान्त उन्हें ग्राम पंचायत को रखरखाव हेतु हस्तानान्तरित किया जायेगा एवं इनके रखरखाव का समस्त कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किया जायेगा।

II- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अधिष्ठापित नये व रिबोर हैण्डपम्प तथा एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं को संलग्न प्रारूप पत्र-1 पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी को हस्तगत कराया जायेगा। उक्त प्रारूप पत्र राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की वेबसाइट (www.swsmup.org) पर उपलब्ध है। उक्त हस्तान्तरित इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प /एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त ग्राम सभा के परिसम्पत्ति रजिस्टर में भी दर्ज किया जायेगा।

III- ग्राम पंचायतों को हस्तानान्तरित किये जाने वाले इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों/ पाइप पेयजल योजना के रखरखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था 13वें वित्त आयोग / राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से की जायेगी।

IV- हैण्डपम्प की खराबी के समय सामान्य मरम्मत (Minor Repair) कार्य जिसमें खराब बियरिंग बदलना, ग्रीसिंग करना एवं टूटी चेन बदलना, एक्सल बदलना, कनेक्टिंग राड एवं जी0आई0पाइप की चूड़ी खराब हो जाने पर चूड़ी बनाकर उन्हें फिट करना, सिलण्डर के वासर बदलना, चेक वाल्व खराब होने पर बदलने का कार्य, नट-बोल्ट कसना तथा उनको बदलने का कार्य, भू-जल स्तर नीचे चले जाने पर जी0आई0 पाइप तथा कनेक्टिंग राड को बढ़ाने के कार्य का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत

[illegible]

[illegible] के पश्चात भी हैण्डपम्प को क्रियाशील नहीं कर पाते है (बोर भर जाने के कारण, बोर मे पानी कम होने के कारण, स्ट्रेनर फट जाने के कारण) तो इसकी सूचना सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को दी जायेगी, जो सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को हैण्डपम्प की मेजर मरम्मत की कार्यवाही हेतु पत्र द्वारा सूचित करेंगे।

VI. सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के यहाँ से बड़े मरम्मत (Major Repair) वाले हैण्डपम्पो की प्राप्त सूची के हैण्डपम्पो का परीक्षण कराकर निम्न कार्यवाही करते हुए हैण्डपम्पो को क्रियाशील कराना सुनिश्चित करेंगे --

(अ) बोर भर जाने पर बोर की सफाई कराकर यदि हैण्डपम्प क्रियाशील हो जाता है तो क्रियाशील करना।

(ब) चट्टानी क्षेत्रो मे बोर मे पानी समाप्त हो जाने पर बोर मे पानी आने की सम्भावना के दृष्टिगत हैण्डपम्प की फ्लसिंग अथवा हाइड्रो फ्रेक्चरिंग का कार्य कराकर हैण्डपम्प को क्रियाशील करना।

VII. उपरोक्त प्रस्तर--V की कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

VIII. यदि किसी इण्डिया मार्का--।। हैण्डपम्प के बोर का केसिंग पाइप अथवा स्ट्रेनर फट गया है एवं उक्त मरम्मत कार्य करने के उपरान्त भी हैण्डपम्प क्रियाशील नहीं किया जा सकता है तो ऐसी परिस्थिति मे अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम सम्बन्धित इण्डिया मार्का--।। हैण्डपम्प की रिबोरिंग की संस्तुति मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी को प्रेषित कर उनसे प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित विकास खण्डो के माध्यम से रिबोरिंग का कार्य सम्पादित करायेंगे। रिबोरिंग हेतु धनराशि का प्राविधान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान मे प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ही होगा।

IX. स्वजलधारा योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत संचालित एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएँ पूर्णतः ग्राम पंचायतो के नियंत्रण मे रहेंगी एवं उनके संचालन एवं रखरखाव का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतो का होगा।

X. ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रिम आदेशों तक मैदानी क्षेत्रों मे उत्तर प्रदेश जल निगम एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे जल संस्थान का होगा।

2-- कृपया इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

शासनादेश संख्या 1134/अड़तीस-5 11 55ग्राम/2010 का संलग्नक।

ग्राम पंचायतों को हैण्डपम्प (नये व रिबोर) तथा पाइप पेयजल योजनाओं को हस्तान्तरित करने का प्रपत्र

प्रपत्र-1

[illegible]	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	मजरे का नाम	हैण्डपम्प / पाइप पेयजल योजना का लोकेशन	अधिष्ठापन का दिनांक	नया अथवा रिबोर	पी०वी०सी० पाइप की गहराई मीटर में	जी०आई० पाइप की लम्बाई मी० में	बोर में जल स्तर मीटर में	प्लेटफार्म की स्थिति	जल निकासी नाली की स्थिति	हस्तांतरण का दिनांक	टिप्पणी
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	[illegible]	[illegible]

हस्तान्तरण करने वाले
अवर अभियन्ता का नाम व हस्ताक्षर

हस्तगत लेने वाले सचिव
ग्राम पंचायत का नाम
व हस्ताक्षर

अवलोकित
ग्राम प्रधान हस्ताक्षर व मोहर